न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2010
प्रविष्टि दिनांक 03.09.2010

श्री मुस्तजीबुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी बहीर टोंक राज0

.... प्रार्थी

वनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री शराफत अली खां,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 26.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम बोरखण्डी खुर्द तहसील पीपलू की भूमि ख0नं0 235 मे से 1800 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर मुआवजा सिचाई विभाग को दिया गया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 235 का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 541/09 दिनांक 03.06.2010 को निरस्त कर खसरा नम्बर 235 का मुआवजा प्रार्थी को दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 541/09 दिनांक 03.06.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की [illegible] गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 235 मे से कुल रकबा 1800 वर्गमीटर वाके ग्राम बोरखण्[illegible] खुर्द मे अवाप्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म गै0मु0 नहर राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दरस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा भूमि ख0न0 235 मे से 1800 वर्गमीटर,किस्म जमीन गै0मु0 नहर वाके ग्राम बोरखण्डी खुर्द का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा चाहा गया है,परन्तु पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वंत 2063–2066 वाके ग्राम बोरखण्डी खुर्द का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 235/2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा है, जबकि अवाप्त भूमि के खसरा नम्बर 235 है जो सरकारी भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 26.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
आर्बिट्रेटर एन.एच.–12
(अति0 जिला कलेक्टर)
टोंक
आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:35 IST
Reason: SelfAttested